

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-91/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी.सी.59-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(227)-2022
लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2021, संख्या-1227/ग्यारह-2-21-9(42)/17-टी.सी.58-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(226)-2022 दिनांक-07 जनवरी, 2022 के नियम 1 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, राज्यपाल, 1 जनवरी, 2022 को ऐसी तारीख अधिसूचित करती है, जिस तारीख को उक्त नियमावली के नियम 2 के उपनियम (2), नियम (3), नियम (8) के खंड (i) और नियम (9) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव